41–(08)–72–2019

पटना में दिनांक–12 फरवरी, 2019 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय)

1. अभियोजन निदेशालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Personal Appraisal Report) के आलेखन हेतु बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम 44 एवं 45 को संशोधित करने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत उर्दू निदेशालय में आवश्यकता के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न स्तर के कुल–14 (चौदह) पदों के सृजन के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि–7 (उद्यान) के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति होने तक के लिये वैसे कृषि समन्वयक, जिनकी अनुशंसायें पूर्व में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नहीं भेजी गई और प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियमित नियुक्ति के उपरांत उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया, वैसे कृषि समन्वयकों को ही प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के रिक्त 357 पदों पर सीधी नियुक्ति होने तक की अवधि के लिये संविदा पर नियुक्त करने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव।

3. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

4. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) वर्ष 2018–19 अन्तर्गत 5320.67 लाख रूपये (तिरेपन करोड़ बीस लाख सड़सठ हजार रूपये) {वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट से कुल 4836.59 लाख रूपये (अड़तालीस करोड़ छत्तीस लाख उनसठ हजार) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व अव्यवहृत अवशेष राशि से 484.08 लाख रूपये (चार करोड़ चौरासी लाख आठ हजार) रूपये} की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 4836.59 लाख रूपये (अड़तालीस करोड़ छत्तीस लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) [केन्द्रांश 1576.73 लाख (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख तिहत्तर हजार) रूपये, मैंचिंग राज्यांश 1373.87 लाख (तेरह करोड़ तिहत्तर लाख सतासी हजार) रूपये तथा अतिरिक्त राज्यांश 1885.99 लाख (अठारह करोड़ पचासी लाख निनानवे हजार) रूपये] के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

4. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

5. बिहार संग्रहालय, पटना (राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सोसायटीज निबन्धन अधिनियम–1860 के अधीन निबंधित एक स्वायत्त शासी संस्थान) के 11 (ग्यारह) पदों के पदनाम एवं पदों के संपरिवर्तन/स्वरूप में परिवर्त्तन की स्वीकृति के संबंध में। 5. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

6. चेचर संग्रहालय, चेचर (वैशाली) की स्थापना एवं सम्यक संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

7. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायक अनुदान के रूप में राज्यांश मद में उपबंधित राशि कुल 41746.75 लाख (चार अरब सतरह करोड़ छियालीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये का अग्रिम निकासी के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

निर्वाचन विभाग

8. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन कार्यालयों/ अनुमंडल कार्यालयों में निर्वाचन शाखा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रधान लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक तथा कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन एवं संबंधित कार्यालयों में वितरण के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

9. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक संपोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत् संचालित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (नीर निर्मल परियोजना) अंतर्गत बैच–II की जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन परियोजना अवधि मार्च 2020 के उपरान्त Spill Over होने की स्थिति में योजना लागत की शेष राशि राज्य मद से वहन करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। 9. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

10. बिहार वित्त सेवा नियमावली, 1953 के नियम 33, 34 एवं 35 में संशोधन एवं बिहार वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति तथा बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

(भविष्य निधि निदेशालय)

11. सामान्य भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के भविष्य निधि में संचित निधि से अग्रिम निकासी हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 15 को संशोधित करने के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

12. इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के सफल कार्यान्वयन के लिये नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेन्सी (PMA) की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा इसके लिये स्वीकृत राशि 10.51 करोड़ (दस करोड़ इक्यावन लाख) रूपये के अतिरिक्त शेष राशि 52.04 करोड़ (बावन करोड़ चार लाख) रूपये दोनों वितरण कंपनियों को राज्य योजना से स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

13. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के सफल कार्यान्वयन के लिये नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेन्सी (PMA) की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा इसके लिये स्वीकृत राशि 29.14 करोड़ (उनतीस करोड़ चौदह लाख) रूपये के अतिरिक्त शेष राशि 72.05 करोड़ (बहत्तर करोड़ पाँच लाख) रूपये दोनों वितरण कंपनियों को राज्य योजना से स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

14. विद्युत भवन परिसर में विद्युत भवन–3 के निर्माण हेतु रू० 84.73 करोड़ (चौरासी करोड़ तिहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 14. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

15. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं०लि० के क्षेत्राधीन कार्यरत 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशनों के क्षमता विस्तारीकरण हेतु 28 अदद् 50 एम०भी०ए० पावर ट्रान्सफार्मर स्थापित करने एवं संबंधित 12 अदद् 132/33 के०भी० ट्रान्सफार्मर 'बे' के निर्माण हेतु कुल 134.90 करोड़ (एक सौ चौतीस करोड़ नब्बे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति जिसमें कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 26.98 करोड़ (छब्बीस करोड़ अंठानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात 107.92 करोड़ (एक सौ सात करोड़ बानवें लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 15. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित सब्सिडी की राशि के आधार पर कुल 5070.00 करोड़ (पाँच हजार सत्तर करोड़) रूपये अनुमानित सब्सिडी के विरूद्ध कुल 4137.00 करोड़ (चार हजार एक सौ सैंतीस करोड़) रूपये की स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त शेष 933.00 करोड़ (नौ सौ तैंतीस करोड़) रूपये की सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 16. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

17. भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला सेतु के समानान्तर प्रस्तावित गंगा नदी पर पहुँच पथ सहित 4–लेन उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु कुल 51.463 एकड़ भूमि का अधिग्रहण संबंधित कार्य हेतु 5948.00 लाख (उनसठ करोड़ अड़तालीस लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

18. पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के घोड़ासहन नहर तटबंध पर रक्सौल–आदापुर–छौड़ादानों पथ (आर०डी० 105.00 से आर०डी० 185.00 तक) के कि०मी० 0.00 से 23.875 (कुल 23.875 कि०मी० लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित पथ का उन्नयन/निर्माण कार्य कुल 3919.73 लाख (उन्चालीस करोड़ उन्नीस लाख तिहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 18. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल–कोईलवर के मौजा–चंदा, थाना सं०–129 के खाता सं०–238, खेसरा नं०–1312 में कुल रकबा 7.5 एकड़ स्वास्थ्य विभाग, बिहार की भूमि किस्म अन्य, अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 19. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. गया जिलान्तर्गत अनुमण्डल–नीमचक बथानी के प्रखण्ड/अंचल–खिजरसराय, मौजा–नौडिहा, थाना सं०–46, खाता सं०–599, खेसरा सं०–04, रकबा–10.00 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. लखीसराय जिलान्तर्गत अंचल–हलसी, मौजा–शिवसोना, थाना नं०–193, जमाबन्दी नं०–133, रामनारायण उच्च विद्यालय, शिवसोना की 29.21 एकड़ में से 7.54 एकड़ भूमि (भूमि परिशिष्ट–I) अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल–हवेली खड़गपुर, मौजा–रमणकाबाद, थाना सं०–382, तौजी नं०–4507, खाता सं०–442, खेसरा सं०–3200, रकबा–10.40 एकड़ में से 6.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि किस्म परती कदीम अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, खड़गपुर के न्यायालय भवन एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय भवन की स्थापना हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण करने के संबंध में। 22. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

23. श्री शुभेश्वर कुमार, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल–3 सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" को यथावत रखने का प्रस्ताव। 23. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

24. "बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019" की स्वीकृति। 24. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

25. "बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (विशेष नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2019" की स्वीकृति के संबंध में। 25. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

26. माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने संबंधी मापदण्ड में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 26. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

27. राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अखिल भारतीय कोटा के वैसे पी०जी० छात्र, जो संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या राज्य के किसी अन्य instrumentality के अन्तर्गत सेवारत हैं, के मामले में पी०जी० उतीर्ण होने के उपरान्त बिहार राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था को शिथिल करने की स्वीकृति। 27. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

28. अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल, जहानाबाद में 191 बेड के प्रस्तावित सदर अस्पताल के नये भवन के निर्माण हेतु रूपये 93,53,00,000/–(तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रूपये) का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 28. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

29. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 29. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

30. बिहार राज्यान्तर्गत निजी क्षेत्र में माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। 30. **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

31. राज्य के 33 जिलों के 7230 ग्राम पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र (Automatic Rain Gauge-ARG) की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के साथ पाँच वर्षों तक रख–रखाव के लिए मो० 14434.00 (चौदह हजार चार सौ चौतीस) लाख रूपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में मो० 2500.00 (पच्चीस सौ) लाख रूपये व्यय करने की स्वीकृति। 31. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

32. बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 में संशोधन हेतु प्रस्तावित बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्वीकृति। 32. **स्वीकृत।**